

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

तहसील अधिकारी

धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)  
सहायक कलक्टर भीलवाडा

उनवान

1- श्री प्रभूलाल पिता मिठू लाल चमार उम्र वयस्क नि0 पाल का खेडा तहसील व  
जिला-चित्तौडगढ़ ---वादी

बनाम

1- श्री लालूराम पिता नन्दा बलाई उम्र वयस्क नि0 सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा  
2- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा। ---प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टि0एक्ट  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या 61/2019 राजस्व वाद  
निर्णय दिनांक 17.08.2020

वादी की और से श्री किशन लाल कुमावत उपस्थित व प्रतिवादी के --- में इस  
वाद के आज दिनांक 17.8.2020 को धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) न्यायालय सहायक  
कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम  
डिक्री दी जाती है कि --- और इस वाद के मामले में लेखो प्रतिशत रूपये की राशि आज दिनांक  
से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत --- को दी जावे।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी 01 के  
इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सांगवा प0ह0 सांगवा भू0अ0नि0क्षेत्र कारोईकलां  
तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में  
दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम  
हक व हिस्सा कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1-वादी:-प्रभूलाल पिता मिठूलाल चमार निवासी पाल का खेडा, तहसील व जिला-चित्तौडगढ़  
के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।


आराजी नं.	रकबा	लगान
2344/806	2.01	-
किता 1	रकबा 2.01 बीघा	-

2-प्रतिवादी:-सं. 1 लालूराम पिता नन्दाबलाई निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा के  
नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	लगान
806/12	0.03	-
806/13	2.01	-
किता 02	रकबा 2.04 बीघा	-

मौके पर आ0नं0 806/12 में देव स्थान स्थित होने से प्रतिवादी के हिस्से  
में प्रस्तावित किया गया।

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम भूमि हक व हिस्से  
कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।  
तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।  
आज दिनांक 17.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर ओर न्यायालय की मोहर से जारी



*Snehl Nana*  
(धायगुडे स्नेहल नाना)  
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाडा